

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!अधिसूचना!!

सं०-3/सी० एस०/एम०(म०नि०)-02/2014-487 पटना-15, दिनांक-24/8/2016


संसदीय कार्य विभागीय परिपत्र संख्या-425, दिनांक-06 सितम्बर, 1997 द्वारा बिहार के मंत्री / राज्य मंत्रियों के कार्यालय कक्ष के सुसज्जन हेतु वर्ष 1997 में मानक का निर्धारण किया गया था।

2. लम्बी अवधि बीत जाने के बाद बाजार मूल्य को देखते हुए इस मानक दर में निम्न रूप से आंशिक संशोधन किया जाता है :-

मंत्री / राज्य मंत्री	वर्तमान में विभागीय कार्यालय कक्ष के सुसज्जन हेतु निर्धारित मानक राशि	संशोधन के बाद विभागीय कार्यालय कक्ष के सुसज्जन हेतु निर्धारित मानक राशि
मंत्री	अधिकतम 1.50 लाख	अधिकतम 3.00 लाख
राज्य मंत्री	अधिकतम 1.25 लाख	अधिकतम 2.50 लाख
उप मंत्री	-----	अधिकतम 2.00 लाख


3. मंत्री / राज्य मंत्री एवं उप मंत्री के आवासीय कार्यालय कक्ष के सुसज्जन हेतु संशोधित निर्धारित मानक राशि, विभागीय कार्यालय के निर्धारित मानक राशि के अनुरूप किया जाता है। विभागीय एवं आवासीय दोनों कार्यालयों के सुसज्जन तथा रख-रखाव भवन निर्माण विभाग के बजटीय उपबंध से किया जायेगा एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 23/8/16
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी० एस०/एम०(म०नि०)-02/2014 487 पटना-15, दिनांक-24/8/2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 23/8/16
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी० एस०/एम०(म०नि०)-02/2014 487 पटना-15, दिनांक-24/8/2016

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन / विकास भवन / विश्वेश्वरैया भवन / मंत्रिपरिषद लेखा (पाँच प्रतियों में) / मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 23/8/16
प्रधान सचिव